[2021] 12 एस सी आर 123

सरकार का सचिव। शिक्षा विभाग (प्राथमिक) और ओ. आर. एस.

बनाम

भीमेश एलियास भीमप्पा

(2021 की सिविल अपील संख्या 7752)

16 दिसंबर, 2021

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है-तत्काल मामले में, सरकारी स्कूल में कार्यरत प्रतिवादी की बहन की मृत्यु हो गई, यह दावा करते हुए कि मृतक अविवाहित थी और माँ, दो भाई और दो बहनें पूरी तरह से उसकी आय पर निर्भर थीं, प्रतिवादी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की मांग की-दावे को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17/21.11.2012 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) (7 वां संशोधन) नियम, 2012 में किया गया संशोधन, 20.06.2012 पर, एक अविवाहित महिला कर्मचारी के अविवाहित आश्रित भाई को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ बढ़ाना, के मामले में लागू नहीं होगा। 20.06.2012 पर नियमों में किया गया संशोधन प्रतिवादी के मामले को शामिल करते हुए पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा, हालांकि उसकी बहन की मृत्यु 8.12.2010 पर हो गई थी। राज्य द्वारा लिखित याचिका खारिज कर दी गई-इसलिए तत्काल अपील-आयोजित की गई: मान लीजिए, नियुक्ति पर

कर्नाटक राज्य में अनुकंपा के आधार कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 के रूप में जाने जाने वाले नियमों के सेट द्वारा शासित होते हैं, जो एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए जाते हैं। 3 (1) एस के साथ पढ़ें। 8 कर्नाटक राज्य का

सिविल सेवा अधिनियम, 1978-जिस तारीख को प्रत्यर्थी की बहन की मृत्यु हो गई थी, उस तारीख के नियमों में शामिल नहीं थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक अविवाहित भाई, अभिव्यक्ति की परिभाषा के भीतर

" आर के तहत एक मृत सरकारी कर्मचारी का आश्रित। 2 (1) (क) उक्त नियमों के बनाम-क-एक मृत महिला अविवाहित सरकारी कर्मचारी के लिए-लेकिन यह केवल एक मसौदा अधिसूचना दिनांक 20.06.2012 के तहत प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से था, जिसे 11.07.2012 पर प्रभावी बनाया गया था कि एक मृत महिला अविवाहित सरकारी कर्मचारी के अविवाहित भाई को परिभाषा के भीतर शामिल किया गया था इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी की बहन की मृत्यु एक अविवाहित महिला सरकारी कर्मचारी के रूप में हुई थी, लेकिन 8.12.2010 पर, नियमों में संशोधन किए जाने से पहले उत्तरदाता के

आवेदन खारिज कर दिया गया।

विधियों की व्याख्या: वैधानिक व्याख्या का कोई सिद्धांत नहीं है जो एक की प्रयोज्यता पर निर्णय की अनुमति देता है

नियम, एक अनिश्चित या परिवर्तनीय कारक पर आधारित होना-व्याख्या का एक नियम जो अलग-अलग परिणाम देता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, यह अकल्पनीय है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. किसी पद या सेवा में प्रत्येक नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिदेश का सख्ती से पालन करते हुए की जानी चाहिए। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, भर्ती के नियमित तरीके के लिए एक अपवाद है, क्योंकि इसका उद्देश्य मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को सहायता प्रदान करना है, जो सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु के कारण आर्थिक और अन्य दोनों तरह से अस्त-व्यस्त हो जाता है।

[पैरा 7] [128-एच; 129-ए-बी]

2. मान लीजिए, कर्नाटक राज्य में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नियमों के एक समूह द्वारा शासित होती है जिसे कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा पर नियुक्ति) के रूप में जाना जाता है।

" एक मृत सरकारी कर्मचारी का आश्रित "नियम के तहत 2 (1) (क) एक मृत महिला अविवाहित सरकारी कर्मचारी के संबंध में उक्त नियमों का। लेकिन यह केवल एक संशोधन के माध्यम से था

20.06.2012 दिनांकित अधिसूचना के मसौदे के तहत प्रस्तावित किया गया जो सरकार का सचिव था।

शिक्षा विभाग (प्राथमिक) v. भीमशालियास भीमप्पा

अंतिम अधिसूचना सं. डी. पी. ए. आर. 55 एस. सी. ए. 2012, बैंगलोर ने 11.07.2012 को दिनांकित किया कि एक मृत महिला अविवाहित सरकारी कर्मचारी के एक अविवाहित भाई को परिभाषा में शामिल किया गया था। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी की बहन की मृत्यु एक अविवाहित महिला सरकारी कर्मचारी के रूप में हुई थी, लेकिन नियमों में संशोधन किए जाने से पहले 8.12.2010 पर हुई थी। [पैरा 8] [129-बी-ई]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम शिव शंकर तिवारी (2019) 5 एस. सी. सी. 600 [2019] 3 एस. सी. आर. 718-संदर्भित।

3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि समान शक्ति वाली पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों की दो पंक्तियाँ हैं। लेकिन स्पष्ट संघर्ष

निर्णयों की उन दो पंक्तियों के बीच, एक संशोधन के बीच के अंतर के कारण था जिसके द्वारा एक मौजूदा लाभ को वापस लिया गया था या कम किया गया था और एक संशोधन जिसके द्वारा मौजूदा लाभ को बढ़ाया गया था। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई व्याख्या संशोधन की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग थी।

[पैरा 12] [130-जी]

मध्य प्रदेश राज्य बनाम अमित श्रीवास (2020) 10 एस. सी. सी. 496; मध्य प्रदेश राज्य बनाम आशीष

अवस्थी (2022) 2 एस. सी. सी. 157-संदर्भित।

4. ऐसे मामलों में जहां मौजूदा योजना के तहत लाभ लिया गया था या कम लाभ के साथ प्रतिस्थापित किया गया था, इस न्यायालय ने नई योजना के आवेदन का निर्देश दिया। लेकिन ऐसे मामलों में जहां एक मौजूदा योजना के तहत लाभ एक द्वारा बढ़ाया गया था

कर्मचारी की मृत्यु के बाद संशोधित योजना, इस न्यायालय ने केवल उस योजना को लागू किया जो कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को लागू थी। यह मूल रूप से इस तथ्य के कारण है कि

दयालु नियुक्ति को हमेशा एक माना जाता था

भर्ती के सामान्य तरीके को छोड़कर और शायद व्यक्ति के प्रति कम करुणा और कानून के शासन के लिए अधिक चिंता के साथ देखा जाता है। [पैरा 17] [134-एफ-जी]

5. यदि अनुकंपा नियुक्ति सेवा की शर्तों में से एक है और किसी कर्मचारी की मृत्यु पर स्वचालित कर दी जाती है

बिना किसी प्रकार की जांच के उपयोग को कानून में निहित अधिकार के रूप में माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वचालित नहीं है, लेकिन सख्त [2021] 12 एस. सी. आर. के अधीन है।

परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवसाय सहित विभिन्न मानकों की जांच। इसलिए, कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है। यद्यपि इस बारे में निर्णयों में मतभेद है कि क्या कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को लागू योजना लागू होगी या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के आवेदन पर विचार करने की तारीख को लागू योजना लागू होगी, लेकिन उपरोक्त निर्णयों में परिलक्षित अंतर्निहित चिंता के बारे में निश्चित रूप से कोई टकराव नहीं है। जहां भी संशोधित योजनाओं ने मौजूदा लाभों को कम किया, इस न्यायालय ने उन लाभों को लागू किया, लेकिन जहां भी संशोधित योजना ने बड़े लाभ दिए, पुरानी योजना को लागू किया गया। [पैरा 18] [134-एच; 135-ए-डी]

6. राय के टकराव के बारे में महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह दो तिथियों के इर्द-गिर्द घूमता है, अर्थात् (i) मृत्यु की तारीख।

कर्मचारी; और (ii) आश्रित के आवेदन पर विचार करने की तिथि। इन दो तिथियों में से केवल एक, अर्थात् केवल मृत्यु की तारीख एक निश्चित कारक है जो नहीं बदलता है। अगली तारीख अर्थात् दावे पर विचार करने की तारीख कुछ ऐसी है जो कई चर पर निर्भर करती है जैसे कि दावा दायर करने की तारीख।

आवेदन, दावेदार के बहुमत को प्राप्त करने की तारीख और जिस तारीख को फाइल को सक्षम प्राधिकारी के सामने रखा जाता है। सांविधिक व्याख्या का कोई सिद्धांत नहीं है जो किसी नियम की प्रयोज्यता पर निर्णय को अनिश्चित या परिवर्तनीय कारक पर आधारित होने की अनुमति देता है। [पैरा 19] [135-डी-एफ] 7. व्याख्या का एक नियम जो अलग-अलग परिणाम देता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं, अकल्पनीय है।

यही कारण है कि कुछ बैंकों के प्रबंधन ने, ऊपर सूचीबद्ध मामलों में, संशोधित योजना में ही एक नियम पेश किया है, जिसमें सभी लंबित आवेदनों पर नई/संशोधित योजना के तहत निर्णय लेने का प्रावधान है। इसलिए, व्याख्या

एक संशोधित योजना की प्रयोज्यता के बारे में केवल एक निर्धारित और निश्चित मानदंड जैसे कि मृत्यु की तारीख पर निर्भर होना चाहिए। और एक अनिश्चित और परिवर्तनशील कारक नहीं। [पैरा 19] [136-ए-सी] सरकार का सचिव।

शिक्षा विभाग (प्राथमिक) v. भीमशालियास भीमप्पा

8. मामला सामने आने पर कर्मचारी की मौत हो गई।

8.12.2010 और नियमों में संशोधन प्रस्तावित किया गया था

20.06.2012 पर एक मसौदा अधिसूचना। अंतिम अधिसूचना 11.07.2012 पर जारी की गई थी। केवल इसलिए कि नियुक्ति के लिए आवेदन के मुद्दे के बाद विचार के लिए लिया गया था संशोधन, प्रतिवादी संशोधन का लाभ नहीं मांग सकता था। अक्कमहादेवम्मा में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय, जिस पर न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी भरोसा जताया था, अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं था, क्योंकि अक्कमहादेवम्मा में संशोधन मौजूदा नियम को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अधिकार से बाहर घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप हुआ था। [पैरा 20] [136-सी-ई]

कर्नाटक राज्य बनाम। अक्कमहादेवम्मा और अन्य कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्णय लिया गया

2010 की रिट याचिका No.20914 आदि पर 18.11.2010 पर

- अप्रयोज्य रखा गया।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 3 एससीआर 718

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

(2020) 10 एससीसी 496

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

(2022) 2 एससीसी 157

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 7752

2021 से।

उच्च न्यायालय के 20.11.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 की रिट याचिका संख्या 106904 (एस. के. ए. टी.) में कर्नाटक की धारवाड़ पीठ।

वी. एन. रघुपति, मो. अपजल अंसारी, सुश्री दीक्षा शर्मा, अधिवक्ता।

अपीलार्थियों के लिए।

जयंत मुथराज, वरिष्ठ अधिवक्ता।, टी. एस. सबरिश, विष्णु उन्नीकृष्णन,

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

[2021] 12

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. कर्नाटक राज्य द्वारा पारित आदेश से व्यथित

प्रशासनिक न्यायाधिकरण जिसे उच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई थी, उन्हें अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादी के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हुए, राज्य उपरोक्त अपील के साथ आया है। 3. हमने श्री को सुना है। वी. एन. रघुपति, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील और श्री. जयंत मुथराज, विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रत्यर्थी के लिए उपस्थित होना।

4. मान लीजिए, प्रत्यर्थी की बहन जो के रूप में कार्यरत थी

2014 का आवेदन No.9099। उक्त आवेदन की अनुमति दी गई थी न्यायाधिकरण ने 10.11.2017 दिनांकित एक आदेश द्वारा इस आधार पर कि 20.06.2012 पर नियमों में किया गया संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा।

प्रत्यर्थी का मामला, हालांकि उसकी बहन की 8.12.2010 पर मृत्यु हो गई। 6. कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए, राज्य ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

धारवाड़ बेंच। रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था

न्यायालय की एक अन्य खंड पीठ के निर्णय के आधार पर दिनांक 1 का एक आदेश, जिसमें कहा गया था कि नियमों में संशोधन पूर्वव्यापी प्रकृति का था। यह उक्त आदेश के खिलाफ है कि राज्य ने उपरोक्त अपील के साथ आएं।

7. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार कहा गया है, एक पद पर प्रत्येक नियुक्ति

या सेवा को सरकार के सचिव के आदेश का सख्ती से पालन करते हुए किया जाना चाहिए।

शिक्षा विभाग (प्राथमिक) v. भीमेश एलियास भीमप्पा [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

14 और संविधान के 16. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति,

यह भर्ती के नियमित तरीके के लिए एक अपवाद है, क्योंकि इसका उद्देश्य मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को सहायता प्रदान करना है, जो सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु के कारण आर्थिक और अन्य दोनों तरह से अस्त-व्यस्त हो जाता है।

8. मान लीजिए, कर्नाटक राज्य में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कर्नाटक के रूप में जाने जाने वाले नियमों के एक समूह द्वारा शासित होती है।

सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996,

कर्नाटक राज्य सिविल सेवा अधिनियम, 1978 की धारा 8 के साथ पठित धारा 3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया। नियम के तहत "एक मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित" की परिभाषा के भीतर, जिस तारीख को प्रतिवादी की बहन की मृत्यु हो गई थी, उन नियमों में एक अविवाहित भाई को शामिल नहीं किया गया था। 2 (1) (क) एक मृत महिला अविवाहित सरकारी कर्मचारी के संबंध में उक्त नियमों का। लेकिन यह केवल एक मसौदा अधिसूचना दिनांक 1 के तहत प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से था जिसे अंतिम अधिसूचना संख्या 1 के तहत प्रभावी किया गया था। डी. पी. ए. आर. 55 एस. सी. ए. 2012, बैंगलोर ने 11.07.2012 को दिनांकित किया कि एक मृत महिला अविवाहित सरकारी कर्मचारी के एक अविवाहित भाई को परिभाषा में शामिल किया गया था। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी की बहन की मृत्यु एक अविवाहित महिला सरकारी कर्मचारी के रूप में हुई थी, लेकिन नियमों में संशोधन किए जाने से पहले 8.12.2010 पर हुई थी।

9. यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि संशोधन पूर्वव्यापी अनुप्रयोग होगा,

उच्च न्यायालय के साथ-साथ न्यायाधिकरण ने कर्नाटक राज्य बनाम अक्कमहादेवम्मा और अन्य में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के एक निर्णय पर भरोसा किया, जो लिखित में 18.11.2010 पर निर्णय लिया गया था।

2010 की याचिका Nos.20914 आदि। लेकिन शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अक्कमहादेवम्मा में उच्च न्यायालय का निर्णय कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) (57 वां संशोधन)

नियम, 2000 में एक संशोधन से उत्पन्न हुआ था। उक्त नियमों में 30.03.2010 पर किए गए संशोधन द्वारा, पोते, अविवाहित पोती, बहू, विधवा बेटी और विधवा पोती को शामिल किया गया था। नियम 9 के स्पष्टीकरण-2 के तहत "परिवार के सदस्य" अभिव्यक्ति की परिभाषा। लेकिन परिवार के सदस्यों की परिभाषा का विस्तार करते हुए 30.03.2010 पर किया गया संशोधन न्यायाधिकरण के एक आदेश द्वारा शुरू किया गया था जिसमें असंशोधित नियम को असंवैधानिक ठहराया गया था। यह उस संदर्भ में है कि 23.11.2000 पर जारी नियमों में 30.03.2010 पर किया गया संशोधन उच्च न्यायालय द्वारा पूर्वव्यापी प्रकृति का माना गया था। यह भी याद रखना चाहिए कि [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विस्तारित परिभाषा परियोजना विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में थी। द.

किसी परियोजना से विस्थापित व्यक्ति को प्रदान किया गया अधिकार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति लेने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता से अलग है। किसी भी मामले में, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के आधार पर लाया गया कोई संशोधन, जिसमें कुछ श्रेणियों के व्यक्तियों के बहिष्कार को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने वाला माना गया है, उच्च न्यायालय द्वारा अक्कमहादेवम्मा में प्रस्तावित व्याख्या प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक ही नहीं हो सकता है

प्रकृति के उन संशोधनों पर लागू होते हैं जिनसे हम इस मामले में संबंधित हैं।

10. संयोग से हमें यह इंगित करना चाहिए कि उच्च न्यायालय अक्कमहादेवम्मा में यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं हो सकता है कि अतिरिक्त

मौजूदा प्रावधान के शब्द उन परिवर्धनों को मूल प्रावधान का हिस्सा बना देंगे, जो मूल प्रावधान लागू होने की तारीख से प्रभावी होगा। 'प्रतिस्थापन' से संबंधित व्याख्या के नियम 'अतिरिक्त शब्दों के सम्मिलन' के मामले में लागू नहीं होने चाहिए।

11. जो हो सके, श्री। प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयंत मुथराज ने दलील दी कि निर्णय की दो पंक्तियाँ हैं

इस न्यायालय का, एक का विचार है कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को लागू नियम/योजना क्षेत्र को नियंत्रित करेगी और दूसरे का मानना है कि दावे पर विचार करने की तारीख को लागू नियम/योजना क्षेत्र को नियंत्रित करेगी। इस विवाद का समाधान करने में असमर्थ, इस न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम शिव शंकर तिवारी 1 में अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा मामले को एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए भेज दिया है। एस. इसलिए विद्वान वरिष्ठ वकील जयंत मुथराज ने अनुरोध किया कि वर्तमान अपील को या तो संदर्भ के साथ रखा जा सकता है या उपरोक्त संदर्भ पर निर्णय की प्रतीक्षा की जा सकती है।

12. लेकिन हम ऐसा करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा है, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है

उत्तरदाता, समान शक्ति की पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों की दो पंक्तियाँ। लेकिन निर्णयों की उन दो पंक्तियों के बीच स्पष्ट संघर्ष, एक संशोधन के बीच के अंतर के कारण था जिसके द्वारा मौजूदा लाभ को वापस ले लिया गया था या कम कर दिया गया था और एक संशोधन जिसके द्वारा मौजूदा लाभ को बढ़ाया गया था। इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई व्याख्या संशोधन की प्रकृति के आधार पर अलग-अलग थी। यह प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा संदर्भित निर्णयों को एक सारणीबद्ध कॉलम में निम्नानुसार प्रस्तुत करके देखा जा सकता है:

1 1 (2019) 5 एस. सी. सी. 600 सरकार का सचिव। शिक्षा विभाग (प्राथमिक) v. भीमेश एलियास भीमप्पा [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

लागू योजना

संशोधित योजना जो

उद्धरण

इस न्यायालय का

निर्णय

मृत्यु की तिथि

बाद में लागू हुआ

सरकारी कर्मचारी

मृत्यु

भारतीय स्टेट बैंक

की योजना

1996 की योजना थी

दावे को किया

खारिज

की पत्नी

बाद में संशोधित किया गया

वर्ष 1996, जो

बनाम. जसपाल कौर

(2007) 9 एस. सी. सी. 571

वित्तीय बना दिया

में जारी नीति द्वारा

मृतक कर्मचारी,

इस अदालत ने

माना कि

2005 , जिसे निर्धारित किया गया था

की स्थिति

(दो सदस्यीय पीठ]

परिवार मुख्य रूप से

के लिए कुछ मापदंड

का अनुप्रयोग

में आश्रित

मानदंड, में था

गरीबी का निर्धारण करना।

वर्ष 2000 के बाद

मापदंडों में से एक

उस तारीख को बल

कर्मचारी की मृत्यु

देखना था कि क्या

कर्मचारी की मृत्यु

परिवार की आय

वर्ष 1999 में,

वर्ष 1999 में।

कम हो गया है

तय नहीं किया जा

सकता है

60 प्रतिशत से कम

एक योजना का

आधार
जो अंदर आया

द्वारा लिया गया वेतन

उस समय के कर्मचारी

वर्ष में बल

मृत्यु से। इसलिए, 2005।

की पत्नी

मृतक कर्मचारी

दावा किया गया

द.

के बारे में विचार

इस पर आवेदन

में स्थापित

वर्ष की नीति

2005 .

लेकिन इस न्यायालय के प्रभाव से यह अभिनिर्धारित किया गया कि

कर्मचारी की मौत हो गई।

भारतीय स्टेट बैंक

04.08.2005 एक नया अनुप्रयोग हो सकता है

1.10.2004 पर और

बनाम राज कुमार

(2010) 11 एस. सी. सी. 661

अनुप्रयोग

केवल भुगतान के लिए योजना पर विचार किया जाना चाहिए

नए के तहत अनुग्रह राशि

[दो सदस्यीय पीठ]

दयालु।

में से

पूर्व

नियुक्ति एकमुश्त थी

योजना थी, जैसे कि

में प्रस्तुत किया गया एक विशिष्ट

6.06.2005 पर बनाया गया

संबंधित पुराने प्रावधान का स्थान

और 14.06.2005। उस पर

मृत्यु की तिथि और

योजना। नए लंबित आवेदन। योजना में एक शामिल है

तारीख को

प्रभाव के लिए प्रावधान

आवेदन,

के रूप में जानी जाने वाली योजना

कि सभी अनुप्रयोग

पुराने के तहत लंबित

दयालु।

योजना का निपटारा किया जाएगा।

नियुक्ति योजना

बल में था।

केवल के साथ

के अनुसार

नई योजना।

हालांकि, एक नए इस अदालत ने लिया

कर्मचारी की मौत हो गई।

एम. जी. बी ग्रामीण बैंक

तिथि का दृष्टिकोण है कि

नया

बनाम. चक्रवर्ती

19.04.2006 पर और

योजना

के लिए आवेदन

12.06.2006 अंदर आया

केवल योजना ही

सिंह (2014) 13 एस. सी. सी. 583

नियुक्ति की गई

6.10.2006 पर बल लगाएं,

जैसा है वैसा ही

लागू करें

एक विशिष्ट

प्रावधान

केवल पूर्व के लिए एक प्रावधान

(दो सदस्यीय पीठ]। 12.05.2006।

जो सभी को

अनिवार्य करता है

इसके बजाय अनुग्रह भुगतान के लिए

योजना

दयालु होने पर

लंबित आवेदन

नियुक्ति

नियुक्ति।

विचार करने के

लिए

दयालु।

आधार लागू था

नए के तहत

उस तारीख को।

योजना।

[2021] 12

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत

कर्मचारी की मृत्यु हो गई 1993 की योजना

यह

केनरा बैंक बनाम एम.

10.10.1998 पर और

बर्खास्त किया

गया

ए द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

द.

महेश कुमार (2015) 7 एस. सी. सी. 412

के लिए आवेदन

भुगतान के लिए योजना

द्वारा दायर की

गई याचिकाएं

(दो सदस्यीय पीठ]

नियुक्ति

में अनुग्रह राशि पर

बैंक के खाते में

वर्ष 2005। लेकिन इसके द्वारा

दो महत्वपूर्ण

दयालु।

विशिष्टता

2005 का समय

आधार बनाया गया था

योजना के तहत

योजना जारी की गई थी,

विशेषताएँ,

अर्थात्,

वर्ष 1993 का। यह.

दावेदार ने

((i)

कि

द.

पहले से ही संपर्क किया गया

आवेदन

अस्वीकार कर दिया गया था

के लिए

30.06.1999 . का उच्च न्यायालय

नियुक्ति

पर

1993 योजना थी

केरल से

दयालु।

रिट याचिका और

आधार

"मरने" के रूप में जाना जाता है

था।

पहले भी कर चुके हैं सफल

हार्नेस

में

वर्ष में अस्वीकृत

सीखी हुई एकल

योजना "।

1999 और

अस्वीकृति

आदेश था

न्यायाधीश ने ए

द्वारा अलग

किया गया

फैसला दिनांकित

उच्च न्यायालय में

30.05.2003 .

साल 2003 बहुत था

फैसला

द्वारा समर्थित

इससे पहले

द.

डिवीजन बेंच में

दयालु।

नियुक्ति

वर्ष 2006 और

मामला उठा

योजना

था।

इस न्यायालय के समक्ष

एक पूर्व द्वारा

प्रतिस्थापित

इसके बाद। अन्य में

में अनुग्रह

योजना

वर्ष 2005; और

(ii)

शब्द, योजना

कि वर्ष में

वर्ष 2005 का

लागू हुआः (i)। 2014, मूल

अस्वीकृति के बाद

योजना

के लिए

के लिए आवेदन

नियुक्ति पर

दयालु।

दयालु।

मैदान खड़े थे।

नियुक्ति के तहत

पुरानी योजना; और

पुनर्जीवित

किया, जब

((ख) आदेश के बाद

दीवानी अपीलें

थीं

तय किया।

अस्वीकृति निर्धारित की गई थी

एकल द्वारा अलग

उच्च के न्यायाधीश

अदालत

इंडियन बैंक बनाम

कर्मचारी की मौत हो गई।

एक नई योजना थी

के प्रकाश में

प्रोमिला और

15.01.2004 पर और

लागू किया गया

केनरा में निर्णय

बैंक

24.07.2004 के बाद

के लिए आवेदन

एम.

एक अन्य

वी.

एस.

नियुक्ति की मृत्यु थी

महेश कुमार,

(2020) 2 एस. सी. सी. 729 (दो सदस्यीय पीठ]

अपने नाबालिग द्वारा बनाया गया

कर्मचारी। के तहत

इस न्यायालय

ने अभिनिर्धारित किया कि

यह योजना एक पूर्व

का मामला

बेटा 24.01.2004 पर है।

दावेदार नहीं हो

सकता है

इन तिथियों पर, ए

मुआवजे की राशि

वृत्ताकार असर

के लिए दिया गया था,

में जांच की गई

संदर्भ का

No.56/79 दिनांकित

निश्चित के अधीन

बाद की योजना

जो

शर्तें। इसके बाद

4.04.1979

और तब से

सम्मिलित

के लागू होने पर

योजना

नई योजना के लिए,

परिवार ने लिया

था

दावेदार पर

नियुक्ति

के तहत पूर्ण उपदान था

पुरानी योजना,

बैंक द्वारा निर्देशित

दयालु।

मैदान में था

एक नया जमा करने के लिए

वे थे

नहीं।

खोजने का

अधिकार

बल देते हैं। लेकिन द.

आवेदन के तहत

दयालु।

योजना प्रदान की गई

नई योजना।

नियुक्ति के लिए,

दावेदार ने नहीं किया

नियुक्ति

यहाँ तक कि

द.

के तहत

पुराना।

केवल उन लोगों के लिए जो

नए के तहत आवेदन करें

चुनें नहीं

योजना, जैसा कि वह था

योजना।

केवल रुचि है

उपदान का भुगतान

पूरे कार्यकाल के लिए

दयालु।

सेवा

नियुक्ति की और नहीं

मौद्रिक लाभ।

कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो गई

जोड़ों में।

सरकार का सचिव। शिक्षा विभाग (प्राथमिक) v. भीमशेलियास भीमप्पा [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

एन. सी. संतोष बनाम

मौजूदा के तहत

लेकिन एक के आधार पर

ध्यान देने के

बाद

के लिए संदर्भित योजना

में संशोधन

में किया गया

एक संदर्भ

कर्नाटक राज्य

नियम 5 का परंतुक, ए

भारतीय स्टेट

बैंक

नियम 5

और अन्य

(2020) 7 एससीसी 617

बनाम शीओ

शंकर

कर्नाटक सिविल

छोटे आश्रित

इसके भीतर आवेदन करना चाहिए

तिवारी से बड़ा

सेवाएँ

[दो सदस्यीय पीठ]

बेंच, एक तीन

(नियुक्ति पर

तारीख से एक साल

सदस्य पीठ

दयालु।

की मृत्यु

आधार) नियम, सरकारी कर्मचारी

इस न्यायालय

ने माना कि

1999 , एक नाबालिग

और होना भी चाहिए।

एन. सी. संतोष

कि

ए के आश्रित

18 वर्ष की आयु प्राप्त की

प्रचलित

मानदंड

जिस तारीख को

तारीख को वर्ष

मृतक

बनाना

सरकार

का विचार

आवेदन करना

चाहिए

आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना

कर्मचारी

द.

के लिए आधार होना

संशोधित

एक के भीतर आवेदन करें

का विचार

तारीख से वर्ष

प्रावधान,

प्राप्त करना

की नियुक्ति

दावा करें

के लिए

में से

दयालु।

पहले से बने लोग

बहुमत।

दयालुता पर

नियुक्ति। द.

पीठ को आगे रखा गया

था

आधार,

द्वारा रद्द किया गया

कि आश्रित

प्राधिकारी की नियुक्ति ए

सरका

र

जिसके कारण

कर्मचारी में

किसी की

अनुपस्थिति

इससे पहले चुनौती

निहित अधिकार

अर्जित करना

अदालत।

मृत्यु की तिथि

पर

सरकार की ओर से

कर्मचारी केवल

कर सकते हैं

माँग

उसका विचार

आवेदन

और

इसलिए

वह

तलाश करने के

लिए अयोग्य

का आवेदन

प्रचलित

मानदंड

मृत्यु की तिथि

द.

सरका

र

सेवक।

13. उपरोक्त निर्णयों के अलावा हमारा ध्यान भी था

मध्य राज्य में तीन सदस्यीय पीठ के निर्णय के लिए तैयार किया गया

प्रदेश बनाम अमित श्रीवास 2. लेकिन वह मामला एक मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित द्वारा किए गए दावे से उत्पन्न हुआ, जिसे मूल रूप से एक कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में नियुक्त किया गया था और जिसने बाद में एक स्थायी कर्मचारी बनने का दावा किया था। न्यायालय स्थायी स्थिति वाले कर्मचारी और नियमित स्थिति वाले कर्मचारी के बीच के अंतर पर गया। आश्रित के दावे के बावजूद कि उसके पिता के पास था

2 (2020) 10 एससीसी 496 [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक स्थायी कर्मचारी बनने पर, इस न्यायालय ने उस मामले में निर्णय दिया कि मृत्यु की तारीख पर प्रचलित नीति के अनुसार, एक कार्य प्रभारित/आकस्मिकता निधि कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार नहीं था। ऐसा मानते हुए पीठ ने इंडियन बैंक बनाम प्रोमिला में अपनी राय दोहराई।

14. अमित श्रीवास (उपरोक्त) में उपरोक्त निर्णय के बाद इस न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने मध्य प्रदेश राज्य बनाम आशीष अवस्थी में अभी तक रिपोर्ट नहीं किए गए निर्णय में निर्णय लिया।

18.11.2021 .

15. आइए अब हम वृहद पीठ के समक्ष लंबित संदर्भ पर आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक बनाम शिव शंकर तिवारी (ऊपर) में, ए इस न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने एक ओर भारतीय स्टेट बैंक बनाम राज कुमार और दूसरी ओर एम. जी. बी. ग्रामीण बैंक और दूसरी ओर केनरा बैंक बनाम एम. महेश कुमार

के बीच स्पष्ट संघर्ष पर ध्यान दिया और मामले को एक बड़ी पीठ के विचार के लिए भेजा। एक बड़ी पीठ के लिए संदर्भ का आदेश वास्तव में 8.02.2019 दिनांकित था।

16. यह एक बड़ी पीठ को उपरोक्त संदर्भ के बाद ही था कि इस न्यायालय ने (i) भारतीय मामले में क्रमशः कम से कम चार मामलों का फैसला किया।

बैंक बनाम प्रोमिला; (ii) एन. सी. संतोष बनाम कर्नाटक राज्य; (iii) मध्य प्रदेश राज्य बनाम अमित श्रीवास; और (iv) मध्य प्रदेश राज्य बनाम आशीष अवस्थी। इन चार फैसलों में से, एन. सी. संतोष (उपरोक्त) तीन सदस्यीय पीठ द्वारा लिए गए थे, जिसने वास्तव में बड़ी पीठ के समक्ष लंबित संदर्भ पर ध्यान दिया।

17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यदि हम उस तरीके का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं जिसमें इस न्यायालय ने एक नए या नए मामले की प्रयोज्यता की व्याख्या करने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया है।

संशोधित योजना जो कर्मचारी की मृत्यु के बाद लागू होती है, हम एक दिलचस्प विशेषता देख सकते हैं। ऐसे मामलों में जहां मौजूदा योजना के तहत लाभ लिया गया था या कम लाभ के साथ प्रतिस्थापित किया गया था, इस न्यायालय ने नई योजना के आवेदन का निर्देश दिया। लेकिन ऐसे मामलों में जहां एक मौजूदा योजना के तहत लाभ कर्मचारी की मृत्यु के बाद एक संशोधित योजना द्वारा बढ़ाया गया था, इस न्यायालय ने केवल लागू किया योजना जो कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से लागू थी। यह मूल रूप से इस तथ्य के कारण है कि दयालु नियुक्ति को हमेशा भर्ती के सामान्य तरीके के लिए एक अपवाद माना जाता था और शायद व्यक्ति के लिए कम करुणा और कानून के शासन के लिए अधिक चिंता के साथ देखा जाता था।

18. यदि अनुकंपा नियुक्ति सेवा की शर्तों में से एक है और किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद इसे स्वचालित बना दिया जाता है, तो सरकार का सचिव।

शिक्षा विभाग (प्राथमिक) v. भीमेश एलियास भीमप्पा [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

किसी भी तरह की जांच के बिना, इसे कानून में एक निहित अधिकार के रूप में माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वतः नहीं होती है, लेकिन विभिन्न मानकों की कड़ी जांच के अधीन होती है

जिसमें परिवार की वित्तीय स्थिति, मृतक कर्मचारी पर परिवार की आर्थिक निर्भरता और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवसाय शामिल है। इसलिए, कोई भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है। यही कारण है कि जिन निर्णयों को हमने ऊपर सारणीबद्ध किया है, उनमें से कुछ ने संशोधित योजनाओं की प्रयोज्यता की अलग-अलग व्याख्या की है, जिससे राय का टकराव होता है। हालाँकि इस बात पर विवाद है कि कर्मचारी की मृत्यु की तारीख को लागू योजना लागू

होगी या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के आवेदन पर विचार करने की तारीख को लागू योजना लागू होगी, लेकिन उपरोक्त निर्णयों में परिलक्षित अंतर्निहित चिंता के बारे में निश्चित रूप से कोई संघर्ष नहीं है। जहाँ कहीं भी

संशोधित योजनाओं ने मौजूदा लाभों को कम कर दिया, इस न्यायालय ने उन लाभों को लागू किया, लेकिन जहां भी संशोधित योजना ने बड़े लाभ दिए, पुरानी योजना को लागू किया गया।

19. राय के टकराव के बारे में महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह दो तिथियों के इर्द-गिर्द घूमता है, अर्थात् (i) कर्मचारी की मृत्यु की तारीख; और (ii) आश्रित के आवेदन पर विचार करने की तारीख। इन दो तिथियों में से केवल एक, अर्थात् केवल मृत्यु की तारीख एक निश्चित तिथि है।

दावे पर विचार एक ऐसी चीज है जो कई चर पर निर्भर करती है। जैसे आवेदन दाखिल करने की तारीख, दावेदार के बहुमत को प्राप्त करने की तारीख और जिस तारीख को फाइल सक्षम व्यक्ति के सामने रखी जाती है।

प्राधिकरण। वैधानिक व्याख्या का कोई सिद्धांत नहीं है जो किसी नियम की प्रयोज्यता पर निर्णय को अनिश्चित या परिवर्तनीय कारक पर आधारित होने की अनुमति देता है। आइए हम उदाहरण के लिए एक काल्पनिक मामले को लें जहां 1 जनवरी, 2020 को 2 सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। मान लीजिए कि इन 2 मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रित 2 अलग-अलग तिथियों जैसे 29.05.2020 और 02.06.2020 पर नियुक्ति के लिए आवेदन करते हैं और एक संशोधित योजना 1 जून, 2020 को लागू होती है। यदि दावे पर विचार करने की तारीख को यह निर्धारित करने के लिए मानदंड माना जाता है कि संशोधित योजना लागू होती है या नहीं, तो इससे दो अलग-अलग परिणाम मिलेंगे, एक उस व्यक्ति के संबंध में जिसने 1 जून, 2020 से पहले आवेदन किया था और दूसरा

1 जून, 2020 के बाद आवेदन करने वाले व्यक्ति का सम्मान। दूसरे शब्दों में, यदि एक ही तिथि पर दो कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है और उन कर्मचारियों के आश्रित दो अलग-अलग तिथियों पर आवेदन करते हैं, एक संशोधित योजना [2021] 12 एस. सी. आर. से पहले।

यदि आवेदन की तारीख और उस पर विचार करने की तारीख को निर्णायक कारक माना जाता है, तो वे लागू हो जाते हैं और उसके बाद एक और, वे अंतर उपचार के लिए आ जाते हैं। व्याख्या का एक नियम जो विभिन्न परिणाम देता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि

व्यक्ति करते हैं या नहीं करते हैं, यह अकल्पनीय है। यही कारण है कि ऊपर सूचीबद्ध मामलों में कुछ बैंकों के प्रबंधन ने

संशोधित योजना में ही एक नियम पेश किया गया, जिसमें नई/संशोधित योजना के तहत सभी लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने का प्रावधान है। इसलिए, हमारा विचार है कि एक संशोधित योजना की प्रयोज्यता के बारे में व्याख्या केवल एक निर्धारित और निश्चित मानदंड जैसे कि मृत्यु की तारीख पर निर्भर होनी चाहिए, न कि एक अनिश्चित और परिवर्तनशील कारक पर।

20. मामले की बात करें तो कर्मचारी की मृत्यु 8.12.2010 पर हुई और नियमों में संशोधन एक मसौदे के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था।

20.06.2012 पर अधिसूचना। अंतिम अधिसूचना 11.07.2012 पर जारी की गई थी। केवल इसलिए कि नियुक्ति के लिए आवेदन संशोधन के मुद्दे के बाद विचार के लिए लिया गया था, प्रतिवादी संशोधन का लाभ नहीं मांग सकता था। अक्कमहादेवम्मा में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय, जिस पर न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी भरोसा जताया था, अनुकंपा नियुक्तियों के मामले में लागू नहीं था, क्योंकि अक्कमहादेवम्मा में संशोधन मौजूदा नियम के परिणामस्वरूप हुआ था।

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को अधिकार से बाहर घोषित किया गया।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के साथ-साथ न्यायाधिकरण के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी का आवेदन खारिज हो जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। देविका गुजराल

अपील

की अनुमति दी गई।